[illegible]

तारीख हुक्म | [illegible]

तहसीलदार मु./नायब तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्रांक/पृ./ [illegible] दिनांक [illegible] के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत [illegible] में प्रार्थी के नाम चक [illegible] की जमाबंदी सम्वत [illegible] के खाता सं. 93 में

[illegible]

के स्थान पर [illegible]

की दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरूस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार [illegible] रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक [illegible] तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत [illegible] के खाता सं. 93 में [illegible]

शाखा [illegible]

के स्थान पर

S.B.1 शाखा [illegible]

[illegible]

की दुरूस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मजगा–ए–आम में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 16:59:26 IST
Reason: SelfAttested